राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक,आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः प.1/प्रति–2/से0पं0/विविध/2017/17539 दिनांकः 27-9-17

आ दे श

कार्मिक (ए–ग्रुप–II) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(2)डीओपी/ए–II/2006 पार्ट–II, जयपुर दिनांक 08.09.2017 द्वारा राजस्थान अधिनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 में संशोधन कर मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के पदनाम सेवा नियम में समाविष्ट करते हुए दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी किये गये हैं:–

क.सं.	पूर्व पदनाम	नवीन पदनाम
1	लिपिक ग्रेड–II (Clerk grade-II)	कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant)
2	लिपिक ग्रेड–I (Clerk grade-I)	वरिष्ठ सहायक (Senior Assistant)
3	सहायक कार्यालय अधीक्षक (Assistatnt Office Superintendent)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Assistant Administrative Officer)
4	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Office Superintendent cum Assistant Administrative Officer)	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (Additional Administrative Officer)

अतः राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना की पालना में आयुर्वेद विभाग के मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के कार्मिकों के नवीन पदनाम परिवर्तन करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) के आदेश क्रमांक एफ.1(26)एफ.डी.(ग्रुप–2)/93 दिनांक 15.09.2017 के अनुसार राजस्थान अधिनस्थ कार्यालयीय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 में उल्लेखित पद अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (Additional Administrative Officer) को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 7 के उप नियम 10–1 के अन्तर्गत राजपत्रित घोषित किया गया है।

(अशोककुमार चौबीसा)
अति. निदेशक(आयु.)

क्रमांकः प.1/प्रति–2/से0पं0/विविध/2017/17539 दिनांकः 27-9-17

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,राज0 जयपुर
2. निजी सहायक,अतिरिक्त निदेशक,आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर
3. वित्तीय सलाहकार, आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर
4. उप विधि परामर्शी, आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर
5. सांख्यिकी अधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर
6. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान को दी जाकर लेख है कि मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों के सेवाभिलेख में नवीन पदनाम का इन्द्राज करावें एवं नवीन पदनाम के अनुसार ही मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों के पेंशन/पदौन्नति आदि कार्यो का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर
8. समस्त शाखा प्रभारी, आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर
9. सामान्य पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(आयु.)